[1][नियम 4 : धारा 12(3) के अधीन, भिन्न–भिन्न राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदाय योग्य सेवाओं की पूर्ति

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन, भिन्न–भिन्न राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदाय योग्य सेवाओं की पूर्ति,–

(क) प्रत्यक्ष रूप से स्थावर संपत्ति के संबंध में सेवाएं, जिसके अंतर्गत वास्तुविदों, आंतरिक सज्जाकारों, सर्वेक्षकों, इंजीनियरों और अन्य संबंधित विशेषज्ञों या संपदा अभिकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाएं भी है, स्थावर संपत्ति के उपयोग का अधिकार प्रदान करने के रूप में दी गई या संनिर्माण कार्य को करने या उसे समन्वित करने के लिए किसी सेवा की पूर्ति; या

(ख) किसी होटल, सराय, अतिथिगृह, गृह निवास, क्लब या शिविर स्थान द्वारा चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हों, जिसके अंतर्गत हाउस बोट या कोई अन्य जलयान भी है, वास सुविधा के रुप में सेवाओं की पूर्ति; या

(ग) कोई विवाह या स्वागत समारोह या उससे संबंधित मामलों को आयोजित करने के लिए शासकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या कारबार समारोह जिसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति पर ऐसे समारोह के संबंध में दी गई सेवाएं भी है, के लिए किसी स्थावर संपत्ति में वास सुविधा के रुप में सेवाओं की पूर्ति; या

(घ) खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सेवाओं की अनुषंगी कोई सेवाओं, के मामले में,

जहां ऐसी स्थावर संपत्ति या नौका या जलयान एक या अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित है वहां सेवाओं की पूर्ति प्रत्येक क्रमिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में होने के रुप में होगी और यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सेवाओं को पृथक रुप से संगृहित करने या उनके मूल्य का अवधारण करने के लिए सेवाओं के पूर्तिकार और सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के बीच किसी संविदा या करार के अभाव में निम्नलिखित रीति से अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :

(i) किसी होटल, सराय, अतिथिगृह, क्लब या शिविर स्थान चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, द्वारा वास आवास की सुविधा (उन दशाओं को छोड़कर जहां ऐसी संपत्ति दो या अधिक संलग्न राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों या दोनों में एकल संपत्ति के रुप में अवस्थित है) और उनसे आनुषंगिक ऐसी सेवाओं को प्रदान करने की दशा में सेवाओं की पूर्ति को प्रत्येक क्रमिक राज्यों या राज्य संघ क्षेत्रों में ऐसी संपत्ति में रात्रि ठहराव की संख्या के अनुपात में किया गया समझा जाएगा;

(ii) स्थावर संपत्ति के संबंध में अन्य सभी सेवाओं की दशा में, जिसके अंतर्गत, कोई विवाह या स्वागत समारोह आदि है और किसी होटल, सराय, अतिथिगृह, क्लब या शिविर स्थान चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, द्वारा वास आवास की सुविधा, जहां ऐसी संपत्ति दो या अधिक संलग्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों या दोनों में एकल संपत्ति के रुप में अवस्थित है और ऐसी सेवाओं के आनुषंगिक सेवाओं को प्रदान करने की दशा में सेवाओं की पूर्ति को प्रत्येक क्रमिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पड़ी हुई स्थावर संपत्ति के अनुपात में किया गया समझा जाएगा;

---

[1] नियम 4 से 9 अधिसूचना क्रमांक 4/2018–एकीकृत कर, दिनांक 31.12.2018 एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2018, द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावषील दिनांक 01.01.2019)।
राजपत्र में शीर्षक नहीं दिये गये है। शीर्षक लेखक द्वारा दिये गये है।

(iii) हाउस बोट या अन्य जलयान द्वारा प्रदान की गई वास आवास के रुप में सेवाएं या ऐसी सेवाओं के अनुषंगी सेवाओं की दशा में सेवाओं की पूर्ति को प्रत्येक क्रमिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में ऐसे प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जलयान या नौका द्वारा व्यतीत किए गए समय के अनुपात में किया गया समझा जाएगा, जिसे सेवा प्रदाता द्वारा इस प्रभाव की घोषणा के आधार पर अवधारित किया जाएगा।

दृष्टांत 1 : एक होटल श्रंखला X इसके दो स्थापनों दिल्ली और आगरा में रुकने के लिए 30,000/– रु. की समेकित राशि भारित करती है, जहां दिल्ली में 2 रात का ठहराव है और आगरा में एक रात के लिए ठहराव है। इस मामले में पूर्ति का स्थान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र और उत्तरप्रदेश राज्य दोनों है, और सेवाओं को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र और उत्तरप्रदेश राज्य में क्रमशः 2:1 के अनुपात में प्रदाय किया गया समझा जाएगा। इस प्रकार प्रदत्त सेवाओं के मूल्य का प्रभाजन 20,000/–रु. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में और 10,000/–रु. उत्तरप्रदेश राज्य में किया जाएगा।

दृष्टांत 2 : एक 20,000 वर्ग फीट भूमि का टूकड़ा जो भागतः मानो 12,000 वर्ग फीट राज्य एस 1 में और भागतः मानो 8,000 वर्ग फीट राज्य एस 2 में है। स्थल तैयारी कार्य टी को सौंपा गया। दोनों राज्यों में भूमि के अनुपात की गणना 12:8 या 3:2 (सरलीकृत) के रुप में हुई। पूर्ति का स्थान एस 1 और एस 2 दोनों राज्यों में है। सेवाओ को क्रमशः दोनों राज्यों एस 1 और एस 2 में 12:8 या 3:2 (सरलीकृत) के अनुपात में प्रदान किया गया समझा जाएगा। सेवा का मूल्य राज्यों के बीच तदनुसार प्रभाजित किया जाएगा।

दृष्टांत 3 : एक कंपनी सी 24 घंटे हाउस बोट में आवास की सेवा प्रदान करती है, जो कि केरल और कर्नाटक दोनों राज्यों में है, चुंकि अतिथि केरल में हाउस बोट पर बैठते है और वहां 22 घंटो के लिए रुकते है लेकिन यह कर्नाटक में भी 2 घंटे के लिए जाती है (जैसा कि सेवा प्रदाता ने घोषित किया है) इस सेवा की पूर्ति का स्थान केरल और कर्नाटक राज्य है। सेवाओं को क्रमशः केरल और कर्नाटक में 22:2 या 11:1 (सरलीकृत) के अनुपात में प्रदान किया समझा जाएगा। सेवा का मूल्य राज्यों के बीच तदनुसार प्रभाजित किया जाएगा।